मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या १३६/२०१५,
जयराम तनय नाथूराम आयु लगभग ४५ वर्ष निवासी मकान नम्बर ५८७, नैनागढ़ नगरा थाना प्रेमनगर, झाँसी
----याची

प्रति

१. इकरार अली तनय अशरफ अली निवासी २७२, लक्ष्मण गंज थाना कोतवाली, झाँसी
........स्वामी आपे नं. यू.पी.९३ ए टी ५३०५

२. रईस तनय ऐजाज अली निवासी मोहल्ला टकसाल थाना कोतवाली, झाँसी
........चालक आपे नं. यू.पी.९३ ए टी ५३०५

३. आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लि. जरिये शाखा प्रबन्धक होटल कनिष्का कचहरी चौराहा, झाँसी, क्षेत्रीय कार्यालय गोमती नगर विभूति खण्ड, लखनऊ
........बीमा कम्पनी आपे नं. यू.पी.९३ ए टी ५३०५
----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता– श्री हेमन्त राव गाडगे
विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के अधिवक्ता– श्री अरुण श्रीवास्तव
१०.०३.२०२१

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पत्रावली आज ४१बी समझौत पर आदेश हेतु नियत है। प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याची जयराम को आई चोटों के कारण **₹८,४९,०००** प्रतिकर धनराशि मय ब्याज दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को ४१बी समझौता पर पूर्व नियत तिथि पर सुना गया। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। याची व विपक्षी सं.३ आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लि. के मध्य हुआ समझौता ४१बी उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में सत्यापित किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। ४१बी समझौता के अनुसार विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में **₹३,७५,०००** याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याची समझौता ४१बी में दर्शित कुल **₹३,७५,०००** प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तत्पर है। अतः याचिका समझौता ४१बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका समझौता ४१बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। समझौता ४१बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.३ आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹३,७५,००० (तीन लाख पचहत्तर हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी Syndicate के ~~पंजाब नेशनल~~ बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाता सं.92352010008560 आई.एफ.एस.सी. CNRB0019235 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी।

याची जयराम के इलाज मे अत्यधिक खर्च हंआ है। अतः याची को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि याची अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त कर सकेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Corrected vide order dated 16/03/2021

PO, MACT, Jhansi
16/03/2021

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.10 17:[illegible]:23 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.16 16:59:38 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI